

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 29/9/2011.

क्रमांक एफ-20-29 /2011/बी-ग्यारह:- शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 9/8/2011 में अनुमोदित संलग्न परिशिष्ट अनुसार उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 5.20 के अनुक्रम में "शहरी क्षेत्र के असंगठित सूक्ष्म उद्योगों, हस्तशिल्प एवं सेवा इकाईयों के लिए सर्व सुविधायुक्त आधुनिक शहरी बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु योजना" प्रसारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भरत कुमार व्यास)
सचिव,

म.प्र. शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0क0: एफ 20-29 /2011/बी-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक : 29 /9/2010

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
 4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
 5. आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल
 6. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन/म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन, भोपाल
 7. प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, समस्त
 8. संयुक्त उद्योग संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, समस्त
 9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, समस्त
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव

म.प्र. शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 5.20

"शहरी क्षेत्र के असंगठित सूक्ष्म उद्योगों, हस्तशिल्प एवं सेवा इकाईयों के लिए सर्व सुविधायुक्त आधुनिक शहरी बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु योजना"

1. नीति :- उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 5.20 में नियोजित शहरी विकास को दृष्टिगत रखते हुये, शहरी क्षेत्र में असंगठित सूक्ष्म उद्योगों, हस्तशिल्प एवं सेवा इकाईयों के लिये सर्वसुविधायुक्त, आधुनिक शहरी बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स की स्थापना, शहरों में उपयुक्त शासकीय भूमि का चयन कर, विभागीय निगमों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

2. परियोजना चिन्हन - प्रथम चरण में प्रदेश के कुछ चुने हुए शहरों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा, विशेषकर ऐसे शहरी क्षेत्र में जहाँ सूक्ष्म उद्योग, हस्तशिल्प या सेवा इकाईयों शहर के अलग-अलग स्थानों पर या रहवासी क्षेत्र में असंगठित रूप से कार्यरत हों ।

3. संभाव्यता सर्वेक्षण एवं परियोजना अनुमोदन:-

(अ) औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के परामर्श से जिले में बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु संभावनाओं, उपयुक्तता एवं आर्थिक व्यवहार्यता का सर्वेक्षण किया जाकर क्रियान्वयन मॉडल तैयार किया जावेगा ।

(ब) परियोजना हेतु शहरी क्षेत्र में उपलब्ध शासकीय भूमि को चिह्नित किया जाकर उपयुक्त स्थल का चयन किया जावेगा । चयनित शासकीय भूमि के हस्तांतरण हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव उद्योग आयुक्त को प्रेषित किया जावेगा । उद्योग आयुक्त द्वारा प्रस्ताव से सहमत होने पर वांछित भूमि के हस्तांतरण हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर को औपचारिक अनुरोध प्रेषित किया जावेगा । जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार उद्योग विभाग के पक्ष में भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी । नगरीय क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में बहुउद्देशीय काम्प्लेक्स हेतु उपयुक्त स्थल उपलब्ध होने पर परियोजना का क्रियान्वयन इन क्षेत्रों में भी किया जा सकेगा ।

By

(स) परियोजना हेतु स्थल का चयन नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के मापदण्ड अनुसार किया जावेगा ।

(द) परियोजना हेतु चयनित उद्योग विभाग की भूमि अथवा राजस्व विभाग से उद्योग विभाग को हस्तांतरित भूमि का आधिपत्य संबंधित औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को परियोजना विकसित करने हेतु सौंपा जावेगा ।

(ई) औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा काम्पलेक्स की संभावनाओं, उपयुक्तता एवं आर्थिक व्यवहार्यता का सर्वेक्षण तथा क्रियान्वयन मॉडल सुनिश्चित करने हेतु परियोजना प्रोफेशनल कंसल्टेंट के माध्यम से तैयार करायी जायेगी ।

(फ) बहुउद्देशीय काम्पलेक्स की परियोजना का अनुमोदन संबंधित म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के संचालक मण्डल द्वारा किया जावेगा तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की अधिकारिता के औद्योगिक क्षेत्रों में परियोजना की सैद्धान्तिक सहमति उद्योग आयुक्त से प्राप्त की जाकर संबंधित औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के संचालक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा ।

4. प्रारंभिक व्यय :- परियोजना संबंधी प्रारंभिक व्यय औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा स्वयं के वित्तीय स्रोतों से किया जावेगा और नगर तथा ग्रामीण नियोजन एवं स्थानीय निकाय से संबंधित अनुमोदन एकेव्हीएन/संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त किया जावेगा ।

5. चरणबद्ध कार्ययोजना :- परियोजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जावेगा :-

5.1 कंसल्टेंट का चयन- एमपीएसआईडीसी/ट्राइफेक द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लिए कंसल्टेंट पैनल का चयन किया जायेगा । यह पैनल 2 वर्ष के लिए होगा एवं पैनल में अधिकतम 5 कंसल्टेंट होंगे । अनुमोदित पैनल कंसल्टेंट से किसी भी परियोजना का संभाव्यता सर्वेक्षण, डीपीआर बनवाना आदि संबंधी कार्य कराया जा सकेगा ।

5.2 परियोजना चयन - म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के परामर्श से काम्पलेक्स की परियोजना लागत, उपयुक्तता, आर्थिक व्यवहार्यता का सर्वेक्षण स्वयं/ प्रोफेशनल कंसल्टेंट के माध्यम से पूर्ण कर प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त स्थल का चयन किया जावेगा ।

- 5.3 प्रस्ताव का प्रशासकीय अनुमोदन – संबंधित म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जिसके क्षेत्र में परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है, द्वारा उक्त कंडिका 3 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।
- 5.4 वित्तीय व्यवस्था – परियोजना हेतु यथा आवश्यकता एस.पी.व्ही. (Special Purpose Vehicle) का गठन भी किया जा सकेगा। वित्तीय व्यवस्था औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा स्वयं के वित्तीय स्रोतों, निजी भागीदारी अथवा ऋण के माध्यम से की जावेगी। यह भी किया जा सकेगा कि परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था के दौरान ही आवेदकों का चयन खुली निविदा पद्धति से किया जाकर उनसे प्रस्तावित अधोसंरचना निर्माण की राशि विभिन्न चरणों में ली जावे ताकि ऋण आदि न लेना पड़े।
- 5.5 विभिन्न विभागों से अनुमति/अनुज्ञप्तियों की प्राप्ति – वित्तीय व्यवस्था के दौरान ही म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/एस.पी.व्ही./जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा विभिन्न विभागों यथा नगर तथा ग्रामीण नियोजन, स्थानीय निकाय एवं अन्य संबंधित एजेंसीज से चाही जाने वाली अनुमति/अनुज्ञप्तियां प्राप्त की जायेंगी।
- 5.6 निविदा आमंत्रण व निर्माण एजेंसी का चयन – समस्त प्रकार की अनुमति/अनुज्ञप्ति प्राप्ति के समानान्तर विकास/निर्माण कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण, कंसल्टेंट द्वारा तैयार व यथोचित प्रपत्रों में नियमानुसार किया जावेगा। उच्च गुणवत्ता एवं कम लागत वाली निर्माण एजेंसी का चयन पारदर्शी पद्धति से किया जावेगा। यथा आवश्यकता तकनीकी क्षमता व फायनेंसियल निविदा अलग-अलग बुलायी जा सकेगी।
6. स्थल आवंटन प्रक्रिया – भवन निर्माण के प्रारंभिक चरण में ही गैर प्रदूषणकारी सूक्ष्म उद्योगों, हस्तशिल्प एवं सेवा इकाईयों को अधोसंरचना आवंटन करने के लिए राष्ट्रीय/प्रादेशिक समाचार पत्रों के माध्यम से औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/एस.पी.व्ही. द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे। आवंटन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी अथवा इस हेतु गठित सक्षम समिति द्वारा प्रक्रिया निर्धारण कर निविदा पद्धति से आवेदकों का चयन किया जावेगा। चयनित आवेदकों द्वारा चयन सूचना की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत ऑफर मूल्य की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी, तदोपरान्त ही आवेदक को विधिवत् आवंटन किया जावेगा।

by

7. इकाईयों को आधिपत्य सौंपना – आवेदकों के चयन एवं आवंटन उपरांत आधिपत्य सौंपने का कार्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/एस.पी.व्ही. द्वारा किया जावेगा एवं आवश्यक लीज एग्रीमेंट का निष्पादन आदि किया जायेगा।
8. इकाईयों द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ करना – इकाई द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने के 12 माह के अंदर उत्पादन प्रारंभ करना होगा। उत्पादन प्रारंभ न करने की स्थिति में नियमानुसार वर्क एरिया निरस्तीकरण की कार्यवाही औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2008 के प्रावधानों के अनुरूप की जावेगी।
9. शहरी बहुउद्देशीय काम्पलेक्स विकसित करते समय आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करते हुए सुरक्षा मानकों एवं प्रदूषण नियंत्रण का विशेष ध्यान रखा जावे।

(भरत कुमार व्यास)
सचिव,

म.प्र. शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग